आलोक कुमार

आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : chairmanppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827(O)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 806 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई,

दिनांक 03/12/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषयः– विद्युत चोरी करते पकड़े गये व्यक्तियों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध पुलिस थानों में दर्ज कराये जाने वाली एफ.आई.आर. में कानूनी कमियॉ होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 22.10.2018 द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दर्ज करायी जाने वाली एफ.आई.आर. में कई कमियॉ छोड़ देने का उल्लेख किया है, जिससे मा0 न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें :–

1- a.) विद्युत चोरी के प्रत्येक अपराध के लिए अलग–अलग तहरीर के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय। तहरीर में विद्युत चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता एवं विद्युत उपभोक्ता होने पर उसका विद्युत संयोजन संख्या आदि के विवरण का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

b.) एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु तहरीर में घटना स्थल का स्पष्ट विवरण/घटना का दिनांक/घटना का समय एवं विद्युत भार व विधा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

c.) एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय तहरीर में, मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों (हमराही); जिस गाड़ी से मौके पर पहुचे हों, उस गाड़ी का नम्बर तथा ड्राईवर के नाम का भी उल्लेख किया जाये।

2. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय तहरीर के साथ, चेकिंग टीम द्वारा उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के **प्रस्तर 8.1** में उल्लिखित **संलग्नक 6.4** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार, चेकिंग रिपार्ट की एक प्रति संलग्न की जाये।

3. विद्युत चोरी पाये जाने तथा संयोजन विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराये जाने की स्थिति में बिलम्ब का युक्ति–युक्ति कारण तहरीर में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. विद्युत संयोजन धारी एवं उपभोगकर्ता अलग–अलग होने की स्थिति में मुकदमा दर्ज कराते समय इस बात का उल्लेख किया जाए कि कनेक्शन किसके नाम से स्वीकृत है तथा इस कनेक्शन का उपभोग किसके द्वारा किया जा रहा है, जिससे मृत व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज होने की सम्भावना न रहे।

5. वितरण निगमों द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से आदेशित कर दिया जाय कि उनके नियन्त्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों को विद्युत चोरी के मुकदमों के सम्बन्ध में यदि मा0 न्यायालयो द्वारा सम्मन प्राप्त कराया गया है तो उन कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित हो कर अनिवार्य रूप से विभागीय पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।

विभागीय कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से मुकदमों का निस्तारण विलम्बित होने एवं विभागीय पक्ष पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6. वितरण निगमों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों हेतु मा0 न्यायालयों में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में विभाग की ओर से की जाने वाली पैरवी की गुणवत्ता का आकलन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में दर्ज मुकदमों के निस्तारण एवं मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में विभाग को हुए लाभ अथवा क्षति का आकलन भी वितरण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में वितरण निगम मुख्यालय पर तैनात विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार वितरण निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से आदेशित करते हुए आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं साथ ही कारपोरेशन मुख्यालय को भी तत्सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांकः /मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/तददिनांकः 03.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा एवं अति ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष